न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1121-दो/2004 - विरुद्ध- आदेश दिनॉक 19-2-2004 - पारित द्वारा अपर कलेक्टर पन्ना - प्रकरण क्रमांक 19/2003-04 स्वमेव निगरानी

राहुल सिंह पुत्र बलवीर सिंह आयु -
ग्राम पहरिया कलॉं, तहसील पवई
जिला पन्ना म0प्र0 ----आवेदक

विरुद्ध

1- म0प्र0शासन
2- धीजा पुत्र शोभा कौंदर (आदिवासी)
ग्राम पहरिया कलॉं तहसील पवई
जिला पन्ना मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र जैन)
(अनावेदक के पैनल लायर श्री जादौन)

आ दे श
(आज दिनॉक 8-8-2016 को पारित)

यह निगरानी अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 19/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम पहरिया कलॉं स्थित भूमि सर्वे कमांक 2384, 2385, 2588,2392,2398 कुल किता 5 कुल भूमि 2.00 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) आवेदक ने अनावेदक कमॉक 2 से पॅजीकृत विकय के आधार पर कय की तथा विकय पत्र पर से तहसील न्यायालय द्वारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-1999 से नामान्तरण कर दिया।

अनुविभागीय अधिकारी पवई व्दारा कलेक्टर पन्ना को इस आशय का प्रतिवेदन दिनांक 2-7-2003 प्रस्तुत किया गया कि प्राप्त शिकायत की जॉच में पाया गया है कि तहसीलदार पवई व्दारा प्रकरण कमांक 18/अ-19/1993-94 में पारित आदेश दिनॉक 27-6-1994 से दिये गये पटटे की भूमि का विकय बिना सक्षम अनुमति के दीना पुत्र शोभा कौंदर व्दारा किया गया है एंव विकय पत्र पर से नामान्तरण पंजी के कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन पर से कलेक्टर पन्ना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण पंजीबद्ध किया, वाद में यह प्रकरण अपर कलेक्टर पन्ना को हस्तांतरित होने पर प्रकरण कमांक 19/ 2003-04 स्वमेव निगरानी पर पंजीबद्ध किया जाकर आवेदक एंव अनावेदक कमांक-2 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 19-2-2004 पारित करके ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण निरस्त करके भूमि विकेता दीना पुत्र शोभा कौंदर के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क-2 के विरूद्ध किसी प्रकार की सहायता नहीं चाही गई है ।

4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी से कय की गई है तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के किसी भी प्रावधान का उल्लॅघन न होने से उप पंजीयक ने विकय पत्र पंजीबद्ध किया है तथा इन्हीं कारणों से एंव

विकेता व्दारा किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करने के कारण ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 22 पर आदेश दिनांक 21-9-99 केता का विधिवत् नामान्तरण किया गया है जिस पर अतिविलम्ब से स्वमेव निगरानी दर्ज करके अपर कलेक्टर ने भूल की है क्योंकि स्वमेव निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत होने के कारण उन्हें सर्वप्रथम विलम्ब वावत् निर्णय लेना था। उन्होंने निगरानी स्वीकार करने की प्रार्थना की।

म0प्र0शासन के पैनल लायर ने बताया कि अपर कलेक्टर एंव कलेक्टर की शक्तियॉ समान है । अनुविभागीय अधिकारी को अवैध विकय का एंव अवैध नामान्तरण का पता चला, उन्होंने जॉच करके प्रतिवेदन दिया है जिसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है अपर कलेक्टर ने आवेदकगण को सुनवाई का अवसर भी दिया है। उन्होंने निगरानी निरस्त वावत् तर्क दिये।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि अनावेदक कमांक-2 दीना पुत्र शोभा कौंदर ने शासकीय अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर उसके नाम दर्ज ग्राम पड़रिया कलॉ स्थित भूमि कुल किता 5 कुल रकबा 2.00 हैक्टर को पॅजीकृत विकय पत्र से आवेदक के हित में विकय की है और विकय पत्र के आधार पर केता आवेदक का ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-99 नामान्तरण किया गया है। यह विकय पत्र नामान्तरण आदेश दिनांक 21-9-99 के पूर्व का है तथा वादग्रस्त भूमि का पट्टा 27-6-1994 का होना अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 19-2-2004 में अंकित किया है तथा पट्टा भूमिस्वामी स्वत्व पर होने से तथा पट्टे की शर्तो का पालन करने के आधार परशासकीय अभिलेख में दीना पुत्र शोभा कौंदर

का नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित रहा है, क्योंकि खसरे में भूमि विक्रय से बर्जित अंकित नहीं थी जिसके कारण भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि का उप पंजीयक ने विक्रय पत्र संपादित किया है एंव तहसील न्यायालय व्दारा आदेश दिनांक 21-9-99 से नामान्तरण किया है। विचार योग्य यह है कि क्या ऐसा भूमिस्वामी संहिता की धारा 165 (7-ख) के प्रावधानों से विक्रय के लिये प्रतिबन्धित है ?

1. फुल्ला विरूद्ध नरेन्द्र सिंह तथा अन्य 2012 रा0नि0 256 (उच्च न्यायालय) का न्यायिक दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन से पूर्व पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किये गये - बिना अनुमति भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया- उपबंध आकर्षित नहीं होते । भूमिस्वामी का अंतरण का अधिकार निहित अधिकार है।

2. (1) आधुनिक गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या0 विरूद्ध म0प्र0 राज्य तथा अन्य एक 2013 रा0नि0 8(उच्च न्यायालय) का दृष्टांत है कि म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 165(7-ख) तथा 158(3) का लागू होना - उपबंधों के अंतःस्थापन के पूर्व का पट्टा तथा भूमिस्वामी अधिकार दिये गये - बिना अनुमति के भूमि का अंतरण - उपबंधों को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-उपबंध आकर्षित नहीं होते।

(2) विधि का सिद्धांत - नवीन उपबंध का अंतःस्थापन- भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया गया-ऐसे उपबंध की भूतलक्षी प्रभावी होने की उपधारणा नहीं की जा सकती।

(3) भू राजस्व संहिता, 1959(म0प्र0) धारा-50- स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग - पुनरीक्षण प्राधिकारी ने यह उल्लेख नहीं किया कि संहिता के किसी उपबंध के उल्लंघन के विषय में जानकारी में कब आया - 180 दिवस से बाहर ऐसी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।

3. भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) धारा 50 - जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गये हों तब विलम्ब से किया गया पुनरीक्षण अवधि वाधित है और ऐसा विलम्ब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है।

विचाराधीन प्रकरण में अपर कलेक्टर व्दारा आदेश दिनांक 21-9-99 के विरूद्ध माह जुलाई वर्ष 2003 के वाद स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की है जिसमें 4 वर्ष से अधिक का विलम्ब है एंव अपर कलेक्टर व्दारा प्रकरण कमांक 19/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 के पूर्व विलम्ब के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय न लेते हुये अंतिम आदेश पारित किया है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 त्रृटिपूर्ण है क्योंकि माननीय न्यायालयों के उक्त न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के हित में ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से किया गया नामान्तरण नियमानुसार होना पाया गया है,जिसके कारण अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 19-2-04 निरस्त किये जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना व्दारा प्रकरण कमांक 19/2003-04 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 19-2-2004 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है एंव निगरानी स्वीकार कर निर्देश दिये जाते हैं कि ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 20 पर आदेश दिनांक 21-9-99 से आवेदक के हित में किया गया नामान्तरण यथावत् रखा जाय।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर